

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 372/2016

अनवान : -

1. विद्या देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी चक न0 6 आरपीएम तहसील नोहर।  
- वादी

बनाम

1. भूपसिंह 2. श्यामलाल पि0 श्योचन्द जाति जाट निवासी चक न0 6 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मनोहरी पत्नी श्योचन्द जाति जाट निवासी चक न0 6 आरपीएम तहसील नोहर।
4. शान्ति पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी चक न0 6 आरपीएम तहसील नोहर।
5. कमला पत्नी प्रभु जाति जाट निवासी चक न0 6 आरपीएम तहसील नोहर।
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एण्ड जयपुर शाखा भूकरका तहसील नोहर।
7. मैनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 372 सन 2016 निर्णय दिनांक 03/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 125/123 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिरसा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. विद्या पत्नि हरिसिंह जाति जाट सा-जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदा रहन एसबीआई शाखा सेक्टर नोहर - 306/389 (19) 18 ता 23 / 1.518, 305/389 (20) 25/2 की 0.228, 306/390 (22) 112/2 की 0.210, 24/1 की 0.168, 25/2 की 0.227 कुल रकबा: 2.351 हे०
2. कमला पत्नि प्रभू 1/4 हि0, भूपसिंह पुत्र श्योचन्द 1/8 हि0, मनोहरी पत्नि श्योचन्द 1/4 हि0, श्यामलाल पुत्र श्योचन्द 1/8 हि0, शान्ति पत्नि भगवानाराम 1/4 हि- जाति जाट सा जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदार रहन कमला हि0 आरएमजीबी नोहर मुर्त, भूपसिंह मनोहरी श्यामलाल शान्ति हि0 एसबीआई शाखा भूकरका मुर्त- 305/390 (21) 512 की 0.227, 6/2 की 0.227 15/2 की 0.228 16/2 की 0.228, 306/389 (19) 24 की 0.253, 25/2 की 0.227, 306/391 (37) 1/2 की 0.227, 2/2 की 0.227 3 की 0.228, 306/390 (22) 2/2/2 की 0.210, 3/2/2 की 0.210, 4/2/2 की 0.210, 5/2/2 की 0.184 6/2 की 0.227, 7 ता 9 की 0.759, 10/2 की 0.235, 11 ता 14 की 1.012, 15/2 की 0.228, 16/2 की 0.228, 17 ता 23 की 0.085, 307/389 (18) 21 की 0.253, 22 की 0.253, 307/390 (18) 2/2 की 0.227, 2/2 की 0.228, 10, 11, 20, 21 की 1.012 कुल रकबा = 9.404 हे०
3. कमला पत्नि प्रभू 1/5 हि- रहन आरएमजीबी शाखा नोहर विद्या पत्नि हरिसिंह 1/5 हि0 रहन एसबीआई शाखा सेक्टर नोहर भूपसिंह पुत्र श्योचन्द 1/10 हि0 मनोहरी पत्नि

राहुल श्रीवास्तव  
नोहर

शयोचन्द 1/5 हि0 श्यामलाल पुत्र शयोचन्द 1/10 हि0, शान्ति पत्नि भगवानाराम 1/5 हि0 जाति जाट जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदार रहन भूपसिंह मनोहरी श्यामलाल शान्ति हि0 एसबीआई शाखा भूकरका मुर्तहीन- 305/389 (20) 25/1 / 0.025 नही मौके पर सीएडी विभाग का पक्का खाला बना हुआ है, 305/390 (21) 5/1 की 0.026, 6/1 की 0.026 15/1 की 0.025, 16/1 की 0.025 हैक्ट गै मु खाला 0.102 हे०, 306/390 (22) 1/1 की 0.025 2/1 की 0.025, 3/1 की 0.025, 4/1 की 0.025, 5/1 की 0.026 गैमु खाला, 5/3 की 0.025, 6/1 की 0.026, 15/1 की 0.025, 16/1 की 0.025, 25/1 की 0.026 गैमु खाला, 306/391 (37) 1/1 की 0.026, 2/1 की 0.026 3/1 की 0.025 रास्ता, 307/389 (23) 1/1 की 0.026 खाला, 2/1 की 0.025 खाला, 306/389 (19) 25/1 0.026 रास्ता, 306/390 (22) 1/2/1 की 0.018, 2/2/1 की 0.018, 3/2/1 की 0.018, 4/2/1 की 0.018 5/2/1 की 0.018, 10/1 की 0.018 गै0मु रास्ता कुल रकबा 0.642 हे०

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या – 372/2016

अनवान : –

1. विद्या देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी चक न० 6 आरपीएम तहसील नोहर।  
– वादी

बनाम

1. भूपसिंह 2. श्यामलाल पि० श्योचन्द जाति जाट निवासी चक न० 6 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मनोहरी पत्नी श्योचन्द जाति जाट निवासी चक न० 6 आरपीएम तहसील नोहर।
4. शान्ति पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी चक न० 6 आरपीएम तहसील नोहर।
5. कमला पत्नी प्रभु जाति जाट निवासी चक न० 6 आरपीएम तहसील नोहर।
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एण्ड जयपुर शाखा भूकरका तहसील नोहर।
7. मैनेजर मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता प्रतिवादीगण  
निर्णय दिनांक: 03/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौज चक न० 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स० 123/115 के प०न० 307/389 के मु०न० 18 के किला न० 21 की 0.253 हैक्ट 22 की 0.253 हैक्ट, कुल 2 किता की 0.506 हैक्ट प०न० 306/389 के मु०न० 19 के किला न० 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, 21 की 0.253 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट, 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट, 25 की 0.2270 हैक्ट, व प०न० 305/389 के मु०न० 20 के किला न० 25 की 0.253 हैक्ट, प०न० 305/390 के मु०न० 21 के किला न० 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2270 हैक्ट, किला न० 15 की 0.2280 हैक्ट, 16 की 0.2280 हैक्ट, प०न० 306/390 के मु०न० 22 के किला न० 1 की 0.2280 हैक्ट, 1 की 0.2280 हैक्ट, 3 की 0.2280 हैक्ट, 4 की 0.2280 हैक्ट, 5 की 0.2020 हैक्ट, 6 की 0.2270 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, 14 की 0.253 हैक्ट, 15 की 0.2280 हैक्ट, 16 की 0.2280 हैक्ट, 17 की 0.253 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, 21 की 0.253 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट, 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट, 25 की 0.2270 हैक्ट कुल 25 किता की 6.0720 हैक्ट भूमि व प०न० 307/390 के मु०न० 23 के किला न० 1 की 0.2270 हैक्ट 2 की 0.2280 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, 21 की 0.253 हैक्ट, कुल 6 किता की 1.4670 हैक्ट व प०न० 306/391 के मु०न० 37 के किला न० 1 की 0.2270 हैक्ट, 2 की 0.227 हैक्ट, 3 की 0.228 हैक्ट, कुल 3 किता की 0.6820 हैक्ट, प०न० ० मु०न० 117 के किला न० 14 की 0.1770 हैक्ट, गै.मु. खाला 15 की 0.0250 हैक्ट, गै.मु. खाला 16 की 0.0760 हैक्ट गै.मु. खाला किता 3 की 0.2780 हैक्ट, प०न० ० मु०न० 121 के किला न० 4 की 0.0510 हैक्ट, गै.मु. रास्ता 5 की 0.1010 हैक्ट, गै.मु. रास्ता 41 की 0.0760 हैक्ट, गै.मु. रास्ता कुल किता 3 की 0.2280 हैक्ट, कुल तादादी 12.3940 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5

मुश्तरका खतेदार है। चक न० 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स० 123/115 की कुल तादादी 12.3940 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण स० 3 ता 5 ब.हि.ब. व प्रतिवादी स० 1 ता 2 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्तानुसार की हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स० 125/123 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स० 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन पर ऐतराज पेश कर बहस में निवेदन किया की उक्त विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया है। प्रतिवादी स० 1 को कोई सूचना व नोटिस जारी नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका पर न जाकर केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है अर्थात उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 की पालना में तैयार नहीं किया गया है तथा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भी प्रतिवादीगण को नहीं सुना गया है। प्रतिवादी को घटिया किस्म की भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव में रोही मौजा 5 आर.पी.एम. के प.न. 306/390 (22) के कि.न. 1/2/1 की 0.018, 2/2/1 की 0.018, 3/2/1 की 0.018, 4/2/1 की 0.018, 5/2/1 की 0.018, 10/1 की 0.018 गै.मु. रास्ता होना दर्ज किया है जो कि.न. 1 व 10 के पूर्वी साईड में एवं कि.न. 2 ता 5 के उतरी साईड में होना दर्शाया गया है जो सही दर्ज नहीं किया गया है ना ही इस रास्ता से प्रतिवादीगण को रास्ता प्राप्त होता है। मौजूदा विभाजन प्रस्ताव में चक 5 आर.पी.एम. के प. न. 306/390 (22) के कि.न. 6 ता 10 के दक्षिणी साईड में पूर्व से पश्चिम एवं कि.न. 10 के पश्चिमी साईड में दक्षिण से उतर रास्ता दर्ज किया जाता है तो उचित रहेगा एवं इससे प्रतिवादीगण को अपने बंटवारा अनुसार रास्ता प्राप्त हो जाता है एवं अपनी ढाणियों में जाने का रास्ता प्राप्त हो जाता है। अतः ऐतराज पेश कर अर्ज है कि प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश दिया जावे कि उपरोक्त

उपरोक्त अधिकारी *Rahul*  
नोहर

तथ्यो को ध्यान में रखते हुए स्वयं मोके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित भूमि का मोका निरिक्षण कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। तहसीलदार के पूर्व पत्रांक 1584 दिनांक 17.09.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर भी ऐतराज पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदान नोहर से पुन विभाजन प्रस्ताव किया गया है दिनांक 19.12.2025 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पुन ऐतराज पेश किया गया है प्रतिवादी द्वारा बार बार विभाजन पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जो की न्यायोचित नहीं है तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक तथा नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव नियामनुसार विधि सम्मत है। अत प्रतिवादी का ऐतराज स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 125/123 की कुल 12.3970 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. विद्या पत्नि हरिसिंह जाति जाट सा—जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदा रहन एसबीआई शाखा सैक्टर नोहर — 306/389 (19) 18 ता 23 / 1.518, 305/389 (20) 25/2 की 0.228, 306/390 (22) 112/2 की 0.210, 24/1 की 0.168, 25/2 की 0.227 कुल रकबा: 2.351 हे०
2. कमला पत्नि प्रभू 1/4 हि०, भूपसिंह पुत्र श्योचन्द 1/8 हि०, मनोहरी पत्नि श्योचन्द 1/4 हि०, श्यामलाल पुत्र श्योचन्द 1/8 हि०, शान्ति पत्नि भगवानाराम 1/4 हि— जाति जाट सा जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदार रहन कमला हि० आरएमजीबी नोहर मुर्त, भूपसिंह मनोहरी श्यामलाल शान्ति हि० एसबीआई शाखा भूकरका मुर्त— 305/390 (21) 512 की 0.227, 6/2 की 0.227 15/2 की 0.228 16/2 की 0.228, 306/389 (19) 24 की 0.253, 25/2 की 0.227, 306/391 (37) 1/2 की 0.227, 2/2 की 0.227 3 की 0.228, 306/390 (22) 2/2/2 की 0.210, 3/2/2 की 0.210, 4/2/2 की 0.210, 5/2/2 की 0.184 6/2 की 0.227, 7 ता 9 की 0.759, 10/2 की 0.235, 11 ता 14 की 1.012, 15/2 की 0.228, 16/2 की 0.228, 17 ता 23 की 1.771, 24/2 की 0.085, 307/389 (18) 21 की 0.253, 22 की 0.253, 307/390 (23) 1/2 की 0.227, 2/2 की 0.228, 10, 11, 20, 21 की 1.012 कुल रकबा = 9.404 हे०
3. कमला पत्नि प्रभू 1/5 हि— रहन आरएमजीबी शाखा नोहर विद्या पत्नि हरिसिंह 1/5 हि० रहन एसबीआई शाखा सैक्टर नोहर भूपसिंह पुत्र श्योचन्द 1/10 हि० मनोहरी पत्नि श्योचन्द 1/5 हि० श्यामलाल पुत्र श्योचन्द 1/10 हि०, शान्ति पत्नि भगवानाराम 1/5 हि० जाति जाट जसाना हाल 6 आरपीएम खातेदार रहन भूपसिंह मनोहरी श्यामलाल शान्ति हि० एसबीआई शाखा भूकरका मुर्तहीन— 305/389 (20) 25/1 / 0.025 नही मोके पर सीएडी विभाग का पक्का खाला बना हुआ है, 305/390 (21) 5/1 की 0.026, 6/1 की 0.026 15/1 की 0.025, 16/1 की 0.025 हैक्ट गै मु खाला 0.102 हे०,

306/390 (22) 1/1 की 0.025 2/1 की 0.025, 3/1 की 0.025, 4/1 की 0.025, 5/1 की 0.026 गैमु खाला, 5/3 की 0.025, 6/1 की 0.026, 15/1 की 0.025, 16/1 की 0.025, 25/1 की 0.026 गैमु खाला, 306/391 (37) 1/1 की 0.026, 2/1 की 0.026 3/1 की 0.025 रास्ता, 307/389 (23) 1/1 की 0.026 खाला, 2/1 की 0.025 खाला, 306/389 (19) 25/1 0.026 रास्ता, 306/390 (22) 1/2/1 की 0.018, 2/2/1 की 0.018, 3/2/1 की 0.018, 4/2/1 की 0.018 5/2/1 की 0.018, 10/1 की 0.018 गैमु रास्ता कुल रकबा 0.642 हे०

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर